मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित
मुख्यालय जहांगीराबाद, भोपाल

इंटर्नशिप हेतु आवेदन पत्र

मध्य प्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या0, भोपाल के अन्तर्गत इंटर्नशिप हेतु आवेदकों से संघ द्वारा निर्धारित प्रारुप में आवेदन आमंत्रित किये जाते है।

इंटर्नशिप हेतु आवेदन का प्रारुप निम्नानुसार है :–

1. आवेदक का नाम ....
2. पिता/पति का नाम ....
3. वर्तमान पत्र व्यवहार का पता ....
4. जन्मदिनांक ....
5. मूल निवासी जिले का नाम .... (प्रमाण पत्र संलग्न करें)
6. शैक्षणिक योग्यता (सत्यापित प्रति संलग्न करें)

क्र0	परीक्षा का नाम	वि0वि0/बोर्ड का नाम	उत्तीर्ण करने का वर्ष	कुल अंक	प्राप्तांक	अंको का प्रतिशत	श्रेणी
1	हाईस्कूल (10)						
2	हायर सेकेन्डरी (10+2)						
3	स्नातक						
4	स्नातकोत्तर						
5	विशेष तकनीकी योग्यता						
6	अन्य योग्यता						

7. किस क्षेत्र में इंटर्नशिप करना चाहते है, इंटर्नशिप का उद्देश्य 50 शब्दों में लिखे।

....
....
....
....

8. यदि अध्ययनरत हो तो विभागाध्यक्ष का प्रमाण पत्र संलग्न करें।

....

घोषणा पत्र

मैं शपथ पूर्वक कथन करता हूं/करती हूं कि :–

आवेदन पत्र में मेरे द्वारा दी गई समस्त जानकारी व शैक्षणिक योग्यता/तकनीकी योग्यता/अनुभव संबंधी ऊपर दी गई जानकारी का विवरण पूर्णतः सत्य है। इसमें किसी भी प्रकार की असत्य जानकारी पाये जाने पर मैं स्वंय उत्तरदायी रहूंगा/रहूंगी एंव इस आधार पर मेरी नियुक्ति किसी भी समय पर बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकेगी। उक्त कार्यवाही करने हेतु विपणन संघ को पूर्ण अधिकार होगा।

(आवेदक के हस्ताक्षर)

पूरा नाम ....

स्थान – ....

दिनांक – ....

नोट :– आवेदन प्ररुप के समस्त बिन्दुओं/कालमों की प्रविष्टियां की जावे अन्यथा स्थिति होने पर निरंक लिखा जावे।

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, भोपाल

इंटर्नशिप कार्यक्रम 2018
दिशा –निर्देश

परिचय :

प्राथमिक सहकारी विपणन संस्थाओं एवं इससे मिलती–जुलती गतिविधियों से संबंधित संस्थाओं को सहयोग प्रदान करने तथा पर्यवेक्षण करने के उद्देश्य से इस शीर्ष स्तरीय संस्था का गठन किया गया है ।

संघ की परम्परागत या समकालीन कार्यक्रमों में नवीन दृष्टिकोण द्वारा विचारों को समायोजित करने की नितांत आवश्यकता है ।

इस कार्यक्रम में ग्राम से लेकर राज्य स्तरीय विभिन्न प्रकार की गतिविधियों को सम्मिलित करते हुए प्राथमिक स्तर की संस्थाओं से शीर्ष स्तर की संस्था तक पारस्परिक लाभ की परिकल्पना की गई है । विचारणीय प्रश्न यह भी है कि प्राथमिक स्तर की संस्थाओं से जुडे कृषकों को उनकी उपज का उचित लाभ तथा उनके उत्पादों के उचित विपणन की मूलभूत सुविधाओं को प्रदान करने पर केन्द्रित हो ।

यह कार्यक्रम वर्तमान में या भविष्य में किसी भी तरह के रोजगार के लिये कोई गारंटी प्रदान नहीं करता है और यह पूरी तरह से एक इंटर्नशिप कार्यक्रम है ।

1. **उद्देश्य :**

कृषि विपणन की शीर्ष सहकारी संस्था के दायित्व के अनुसार तथा वर्तमान अर्थव्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में समसामयिक व्यावसायिक समीकरणों को ध्यान में रखते हुए इस संस्था में प्रबंधन, विपणन, विधि, आई0टी0 एवं आई0सी0टी के दक्षता आधारित व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत् या अध्ययन पूर्ण कर चुके भारतीय नागरिकों को " इंटर्न " के रूप में अल्पकालिक आधार पर शामिल करने का प्रयास है ।

वर्तमान समय में Start up India, Make in India, Stand up India इत्यादि कार्यक्रमों द्वारा नवीन सोच के आधार पर व्यवसाय को Promote किया जा रहा है। विपणन के क्षेत्र में आई0टी के अभिसरण से नए प्रयोग किये जा रहे हैं । Social Media से adervertizing एवं Sales Promotion के क्षेत्र में भारी बदलाव दृष्टव्य है।

अतः संस्था एवं उसकी सदस्य संस्थाओं के व्यापार को बाजार की नवीन व्यवस्थाए एवं Best business practices के अनुरूप करने हेतु propfessional expertise " इंटर्नस " के रूप में लेने हेतु यह नीति जारी की जा रही है ।

" इंटर्नस " केवल प्रबंधन, आई0टी0, आई0सी0टी0, विधि, विपणन एवं इसी प्रकार अन्य प्रासंगिक प्रोफेशनल कोर्सेस जैसा सक्षम प्राधिकारी उचित समझ, से ही लिए जाएगें ।

" इंटर्नस " के चयन specified activity एवं Project के लिए किया जाएगा तथा उसके deliverables भी परिभाषित किए जाएगे ।

2. **इंटर्नशिप कार्यक्रम निम्नलिखित सिद्धांतों पर निर्देशित किया जावेगा –**
   1. ऐसे कार्यों को इंटर्न को सौपा जा सकता है जिसमें उनका बायोडेटा सुदृढ हो सके.
   2. समय–सीमा में निर्दिष्ट कार्यो को करने की क्षमता को बढावा देगा.
   3. इंटर्न के लिये फ्रन्ट लाईन अनुभव.
   4. इंटर्न के लिये निरन्तर मार्गदर्शन एवं प्रतिक्रियाएं

3. <u>परिभाषाएँ :</u>
   1. "अधिनियम" से तात्पर्य मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम 1960 (क्र–17 1961) से है.
   2. " मण्डल " से तात्पर्य संघ के संचालक मण्डल से है.
   3. " मण्डल " से अभिप्रेत है, धारा 48 के अन्तर्गत गठित संचालक मण्डल.
   4. " पंजीयक " से अभिप्रेत है, धारा 3 के अधीन नियुक्त किया गया सहकारी सोसाइटियों का रजिस्ट्रार.
   5. अधिनियम के अन्तर्गत नियम–से तात्पर्य मध्यप्रदेश सहकारी समितियां नियम 1962 से.
   6. संघ से तात्पर्य– म0प्र0 राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित से है,
   7. सदस्य सोसाइटी– से तात्पर्य उन सहकारी समितियों से है, जो कि इस संघ के सदस्य है.
   8. प्रतिनिधि– से अभिप्रेत है किसी सोसायटी का कोई ऐसा सदस्य जो उस सोसायटी का प्रतिनिधिवत्व अन्य सोसायटी में करे.
   9. विर्निदिष्ट पद– से अभिप्रेत है अध्यक्ष या सभापति और उपाध्यक्ष या उप सभापति का पद.
   10. मुख्य कार्यपालक– अधिकारी स अभिप्रेत अधिनियम की धारा 49 (ड) के अधीन नियुक्त प्रबंध संचालक से है, जिसे संचालक मण्डल के अधीक्षण नियंत्रण और निर्देशन के अध्यधीन रहते हुए संचालक मण्डल द्वारा संघ के कार्यकलापो का प्रबंध सौपा गया है.
   11. अन्य पिछडे वर्ग– से अभिप्रेत है ऐसे पिछडे वर्गो के व्यक्तियों का प्रवर्ग जो कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए.
   12. प्रसंगानुकूल अन्य सभी परिभाषिक शब्द सहकारी सोसायटी अधिनियम और नियमों में की गई परिभाषाओं का अर्थ धारण करेंगे.

4. <u>योग्यता :</u>
   1. भारतीय छात्र, जो राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों/संस्थानों में अध्ययरत् हो या अध्ययन पूर्ण किया हो ।
      (टीप– संघ आवश्यकतानुसार विश्वविद्यालयों/संस्थानों की सूची तैयार कर वेबसाइट पर प्रकाशित कर सकेगा ।)
   2. छात्र प्रथम वर्ष स्नातक की डिग्री पूरी होने के बाद इंटर्नशिप में प्रवेश के लिये पात्र होंगे और उनके स्नातक/स्नातकोत्तर/पी0एच0डी0/डिप्लोमा के पूरा होने के तीन साल बाद तक सीमित रहेंगे ।
   3. विपणन संघ की आवश्यकता के आधार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा पात्रता मानदण्डों को शिथिल किया जा सकेगा ।

5. **आवेदन प्रक्रिया :**

1- Advertise in public domain
2- Application can be received through the institute or directly
3- Selection criteria & process of selection to be decided by the Competent Authority and will be advertised alongwith the invitation for application.
4. संघ इंटर्नशिप एवं उसके कार्य के विवरण के साथ विज्ञापन प्रसारित करेगा । आवेदन/नामांकन की अंतिम तिथि पत्र में स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट की जावेगी ।
5. इच्छुक संस्थाऐं इंटर्नशिप कार्यक्रम के लिये योग्य छात्रों को नामांकित कर सकते है और उन्हें अपने आवेदन पत्र में (अ) नामांकित व्यक्तियों के सी0वी (ब) वित्तीय वर्ष के दौरान इंटर्नशिप अवधि और (स) रूचि के क्षेत्र प्राथमिकता दर्शाते हुए संघ को भेजना होगी । इच्छुक इंटर्न सीधे संघ को भी आवेदन कर सकते है ।

6. **इंटर्नशिप की अवधि :**

1. इंटनशिप की अवधि 45 दिवस से कम नहीं (कार्यालयीन) और 03 माह से अधिक नहीं होगी.
2. इंटर्नशिप की आवश्यक अवधि को पूरा नहीं करने वाले इंटर्न किसी प्रमाण–पत्र या वृत्तिका के लिये पात्र नहीं होंगे.

7. **रिपोर्ट जमा करना :**

1. इंटर्नशिप के अन्त में कम से कम 05 दिन पहले इंटर्नशिप कार्यक्रम की सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये इंटर्न को मार्गदर्शक/पर्यवेक्षक को परियोजना रिपोर्ट जमा करने की आवश्यकता होगी । यदि आवश्यक हो तो इंटर्नशिप के अन्त में इंटर्न आवंटित संस्था के संबंधित रिपोर्टर/पर्यवेक्षक को अथवा संस्था के मुख्य को प्रस्तुतिकरण देगा.
2. परियोजना रिपोर्ट की पावती में इंटर्न द्वारा पर्यवेक्षक/मार्गदर्शक के नाम का उल्लेख होगा जिसे विपणन संघ /आवंटित संस्था द्वारा सलाह दी गई हो।
3. इंटर्न द्वारा जमा की गई रिपोर्ट की समीक्षा उपरांत मार्गदर्शक/पर्यवेक्षक द्वारा अनुमोदित किया जाएगा जो आवंटित संस्था प्रमुख द्वारा प्रतिअनुमोदित होगी ।

8. **इंटर्नशिप का प्रमाण पत्र :**

इंटर्न द्वारा इंटर्नशिप पूरा होने पर एवं अनुमोदित तथा प्रतिहस्ताक्षरित रिपोर्ट जमा होने पर विपणन संघ प्रमाण पत्र जारी करेगा ।

9. **साथ सीखने और अनुभव साझा करने का कार्यक्रम :**

1. विपणन संघ इंटर्नशिप पूरा हाने के तुरन्त बाद किसी भी संस्था में सभी इंटर्न के लिये 01 दिवसीय सहकर्मी सीखने और अनुभव साझा करने का कार्यक्रम आयोजित कर सकता है ।
2. यात्रा और आवास की लागत इंटर्न द्वारा स्वय वहन की जाएगी ।

(4)

10. वृत्तिका (**Stipend**)

1. पूरे समय अर्थात् 45 दिवस के लिये अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और रिसर्च फेलो/पी0एच0डी0 इंटर्न को क्रमशः रू0 10000/– रू0 12000/– एवं रू0 15000/– एक मुश्त भुगतान किया जावेगा ।
2. इंटर्नशिप पूरी करने पर, संतोषजनक प्रदर्शन के अधीन पर्यवेक्षक/मार्गदर्शक द्वारा विधिवत प्रमाणित होने पर वृत्तिका की राशि आवंटित संस्था द्वारा देय होगी ।

11. रसद समर्थन (**Logistic Support**)

1. इंटर्न को संघ और संबंधित संस्थाओं द्वारा कार्यस्थल उपलब्ध कराया जावेगा। अन्य आवश्यक सुविधाएं इंटर्न को अपने स्तर से करना होगी ।
2. इंटर्नशिप के दौरान इंटर्न को अपनी आवास व्यवस्था स्वयं करना होगी ।

12. अवकाश

इंटर्नशिप के दौरान इंटर्न को कभी भी अधिकतम 03 दिवस की अवधि के लिये अवकाश दिया जावेगा ।

13. आचार संहिता :

विपणन संघ द्वारा नियुक्त किए गए इंटर्न को निम्नलिखित आचरण संहिता का पालन करना होगा, जिसमें निम्न शामिल है, लेकिन इन तक ही यह सीमित नहीं होगा –

1. इंटर्न को आवंटित संस्था के परिसर में आधिकारिक घण्टो के दौरान उपस्थित होना आवश्यक है, जब तक अन्यथा पर्यवेक्षक/मार्गदर्शक द्वारा लिखित में अनुमति नहीं दी जाती ।
2. इंटर्न, मार्गदर्शक/पर्यवेक्षक द्वारा कार्य योजनाओं और कार्यक्रमों का पालन करेंगे, और इंटर्नशिप के लिये मार्गदर्शक/पर्यवेक्षक द्वारा सभी संरचित गतिविधियों में भाग लेंगे और प्रगति पर चर्चा करने के लिये मार्गदर्शक/पर्यवेक्षक के साथ नियमित रूप से मिलेंगे ।
3. आमतौर पर विपणन संघ और आवंटित संस्थाओं के कर्मचारियों के लिए लागू आंतरिक नियमों और विनियमों का पालन करेगा ।
4. इंटर्न, विपणन संघ और आवंटित संस्था की गोपनीयता नीति का पालन करेगा और विपणन संघ, उसके कार्य और नीतियों से संबंधित जानकारी के किसी भी विवरण का किसी व्यक्ति अथवा संस्था को खुलासा नहीं करेगा ।
5. इंटर्न, किसी भी बौद्धिक संपदा अधिकार, विपणन संघ और आवंटित संस्था में किए गए कार्यो का दावा नहीं करेगा और विपणन संघ की बौद्धिक संपदा की गोपनीयता को सख्ती से बनाए रखेगा । किसी भी उल्लंघन/अवहेलना को, इंटर्न के साथ–साथ उसके संस्थान को प्रतिकूल रूप से देखा जाएगा और वह उचित कार्यवाही को आमंत्रित करेगा ।

6. इंटर्न और संबंधित संस्थान के पास परियोजना के काम के परिणामों पर कोई दावा नहीं होगा । विभाग पेटेंट, डिजाइन, सॉफ्टवेयर कॉपीराइट (स्त्रोत कोड) और प्रकाशनों मे, जो परियोजना की अवधि में प्रकाशित की गई हो, सभी बौद्धिक संपदा अधिकारों को बरकरार रखेगा ।
7. इंटर्न द्वारा विपणन संघ की पूर्व अनुमति से, शैक्षिक निकायों और संगोष्ठियों / सम्मलेनों में अपना काम प्रस्तुत किया जा सकता है ।

   हांलाकि, इस उद्देश्य के लिए भी विपणन संघ और आवंटित संस्था की गोपनीय जानकारी किसी भी परिस्थिति में प्रकट नहीं की जा सकेगी ।
8. इंटर्न द्वारा लिखे गए और/प्रकाशित किए गए कोई भी कागजात और दस्तावेज पर यंह स्पष्ट होगा कि, वे इंटर्न के व्यक्तिगत विचार है और वे विपणन संघ एवं आवंटित संस्था के विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करते है ।
9. इंटर्न विपणन संघ और तीसरे पक्ष को प्रतिनिधित्व के संबंध में आवंटित संस्था द्वारा दी गई सलाह का पालन करेंगे ।
10. आमतौर पर एक इंटर्न तीसरे पक्ष के साथ विपणन संघ और आवंटित संस्था के साथ बातचीत या प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता है, हालांकि इंटर्न विशेष रूप से विपणन संघ और आवंटित संस्था की तरफ से तीसरे पक्ष के साथ बातचीत करने के लिये प्राधिकृत हो सकते है, यह उनकी भूमिकाओं की प्रकृति और जिम्मेदारियों के आधार पर होगा ।
11. कोई भी इंटर्न किसी भी मीडिया (प्रिंट, इलेक्ट्रानिक इत्यादि) से बातचीत (**Interact**) नहीं करेगा ।
12. इंटर्न विपणन संघ और आवंटित संस्था तथा आम जनता के साथ अप्ने संबंध व्यावसायिक रूप से संचालित करेंगे ।
13. इंटर्नशिप के दौरान उत्पन्न होने वाली **Conflict of Interest** से संबंधित त्वरित और पूर्ण प्रकटीकरण करने के लिये इंटर्न द्वारा जानकारी दी जाना आवश्यक होगा ।
14. इंटर्न किसी विशेष लाभ प्राप्त करने के लिये किसी प्रकार का उपहार, लाभ न तो प्रदान करेगा और न ही स्वीकार करेगा, अन्यथा इसे किसी विशेष सुविधा के अंतरण हेतु समझा जावेगा ।
15. इंटर्न, विपणन संघ और आवंटित संस्था द्वारा चाही गई इंटर्नशिप कार्यक्रम के फीडबेक मार्गदर्शक को अनिवार्य रूप से प्रदान करेगा ।

14. **<u>मार्गदर्शक / पर्यवेक्षक की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां :</u>**

1. मार्गदर्शक / पर्यवेक्षक, कार्यक्रम के उद्देश्यों, कार्य योजना, मील का पत्थर और पेशेवर उम्मीदरों पर इंटर्न से संवाद करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी पेशेवर उम्मीदों को इंटर्नों द्वारा सूचित और समझा गया है ।
2. मार्गदर्शक / पर्यवेक्षक इंटर्न को परिभाषित कार्य योजना के अनुसार सार्थक काम सौपेंगे ।
3. कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा और चर्चा करने के लिये मार्गदर्शक / पर्यवेक्षक नियमित रूप से मिलेंगे और उन क्षेत्रों की पहचान करें जहां इंटर्न को सीखने में सहायता और मार्गदर्शन की आवश्यकता है और आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे ।

4. मार्गदर्शक/पर्यवेक्षक, इंटर्न को रचनात्मक, संतुलित और सम्मानजनक प्रतिक्रिया प्रदान करेंगे ।

15. **शिकायत निवारण :**

किसी भी शिकायत के मामलें में, इंटर्न उसे आवंटित संस्था के प्रमुख को अपनी शिकायत प्रस्तुत कर सकता है । यदि वह इंटर्न, की गई कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है तो वह विपणन संघ में सक्षम प्राधिकारी को अपनी शिकायत प्रस्तुत कर सकता है ।

16. **समापन :**

1. यदि विपणन संघ का मानना है कि विपणन संघ को इंटर्नी की आवश्यकता नहीं है तो, विपणन संघ उसकी सेवायें समाप्त कर सकता है ।
2. विपणन संघ किसी भी समय बिना कारण बताए और तत्काल प्रभाव के इंटर्नी की सेवाओं का समाप्त कर सकता है ।
3. यदि इंटर्न अपनी सेवायें विपणन संघ से समाप्त करने का फैसला करता है तो, इंटर्न को 10 दिन की पूर्व सूचना देना होगी ।
4. समाप्ति पर, इंटर्न को विपणन संघ के साथ अपने परियोजना कार्य के दौरान, विपणन संघ या आवंटित संस्था द्वारा इंटर्न को दिए गए किसी भी कागजात, उपकरण या अन्य समितियों को विपणन संघ को सौपना होगा । इसमें बैज या आई डी कार्ड भी शामिल होंगे जो इंटर्न को जारी किए गए हो।
5. यदि विपणन संघ के संज्ञान में बात आती है कि, जिस व्यक्ति की सेवाओं को विपणन संघ द्वारा समाप्त कर दिया गया है, वह इस तरह से कार्य और कर रहा है जो एक इंप्रेशन देता है कि वह अभी भी विपणन संघ के लिये कार्य कर रहा है, तो विपणन संघ स्वतंत्र होगा कि, ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जावे ।
6. सक्षम प्राधिकारी इंटर्न के खिलाफ उचित कार्रवाई शुरू कर सकता है और सक्षम प्राधिकारी के निर्णय इंटर्न पर अंतिम व बंधनकारी होगा ।

17. **इंटर्न का डेटाबेस :**

विपणन संघ इंटर्न और उनके परियोजना विवरण का डेटाबेस बनाए रखेगा । उपस्थिति के रिकार्ड और इंटर्न के कार्य पर्यवेक्षण के विवरण आवंटित संस्था के संबंधित मार्गदर्शक/पर्यवेक्षक द्वारा सुरक्षित रखा जाएगा ।

18. **कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति :**

सक्षम प्राधिकारी के पास किसी भी कठिनाई को दूर करने की शक्ति होगी जो इन दिशा निर्देशों के कार्यान्वयन के रास्ते में आ सकती है ।

(7)

19. **<u>योजना की समीक्षा :</u>**

इस योजना को अपने वर्तमान रूप में तीन साल के लिये प्रस्तावित किया गया है । सक्षम अधिकारी द्वारा एक वर्ष पश्चात इस योजना की समीक्षा उपरांत आवश्यक परिवर्तनों के साथ लागू की जा सकती है ।

प्रबंध संचालक
म0प्र0 राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित,
भोपाल